

30/01/19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली को रैस्पो की तलाबी हेतु नोटिस तलबाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिने जाने के बावजूद नोटिस तलबाना पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में न्यायालय द्वारा दि. 29/3/17 को स्वयं आदेश जारी किया हुआ है रैस्पो की तलाबी हेतु आज दिनांक 15 नोटिस तलबाना पेश नहीं करने पर न्यायालय द्वारा दि. 29/3/17 को जारी किये गये स्वयं आदेश को आगे विस्तार किया जाना उचित नहीं होता है अतः दि. 29/3/17 को जारी किये गये स्वयं आदेश का आगे विस्तार नहीं किया जाता है। रैस्पो की तलाबी हेतु नोटिस तलबाना पेश करने हेतु न्यायालय में एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 15/02/19 को पेश की है।

15/2/19

पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त संघ द्वारा डाला गए स्वयं आदेश को रखा है अतः न्यायालय द्वारा दि. 25/2/19 को पेश किया गया।

25/2/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलेंट अनुपस्थित। पत्रावली आगू दि. 11/3/19 को पेश की।

11/3/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलेंट अनुपस्थित। वकील अपीलेंट को आवाज दिलवाई गई। बार-2 आवाज दिलवाने के बावजूद कोई उपास्थित नहीं आया। अतः अपील अपीलेंट अदम्य हाजरी - अनरम चेखी में खारिज की जाती है पत्रावली फंसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल इफल है।